Date : 22 फ़रवरी 2023

निजता की सुरक्षा

संदर्भ- हाल ही में प्रस्तावित बजट 2023-24, डिजीटलीकरण व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है लेकिन निजता के मौलिक अधिकार के लिए यह प्रोत्साहन जोखिम पैदा कर सकता है।

निजता – निजता किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपनी जानकारी को निजी रखने या सार्वजनिक न करने की स्थिति को निजता कहलाती है। निजता का अर्थ है स्वायत्तता का अधिकार। निजता के अधिकार की आवश्यकता सोशल मीडिया के प्रसार साथ बढ़ती जा रही है। जो सुविधाओं के साथ नई समस्याओं को जन्म देती है। उपभोक्ताओं द्वारा अपनी निजी जानकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को प्रदान की जाती है। जैसे-

- विभिन्न एप्लीकेशन में साइन इन करने के लिए इन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। जो आसानी से उपभोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है।
- कई मामलों में इन सूचनाओं को याद न रख पाने की स्थिति में ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर अत्यंत निजी सूचनाएं जैसे नाम, जन्मतिथि, पहचान नम्बर, पासवर्ड आदि भी सेव कर दी जाती है।

संभावित समस्याएं

- सामाजिक सुरक्षा- इण्टरनेट के साथ अत्यधिक सहज होने के कारण सामाजिक सुरक्षा को भी खतरा हो गया है जैसे अभद्र, अश्लील भाषा व चित्रों का प्रयोग करके किसी को परेशान किया जा सकता है। इसे साइबर बुलिंग भी कहा जाता है। साइबर बुलिंग, असुरक्षा के भाव को बढ़ा सकता है।

- धोखाधड़ी की घटनाएं- इण्टरनेट पर आसानी से प्राप्त किसी की जानकारी से ऑनलाइन माध्यमों द्वारा लेनदेन कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है।
- नकली पहचान पत्र- ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त किसी की निजी जानकारी का प्रयोग कर नकली पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि बनाए जा सकते हैं। यह आतंकावादी घटनाओं को बढ़ने में सहायक हो सकता है। और किसी निर्दोष को आतंकवादी या अपराधी सिद्ध कर सकता है।

निजता के अधिकार हेतु संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 21-

- निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है।
- निजता का अधिकार, संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है।
- भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकरण से अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- कोई भी संस्था या अथॉरिटी उसे निजी जानकारी सांझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान आए समन निजी जानकारी सांझा करने का आदेश होता है किंतु निजी जानकारी सांझा करने व न करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है।

पर्सनल डेटा प्रोटैक्शन बिल 2019-

- बिल में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है।
- इस विधेयक में राइट टू बी फॉरगोटन को शामिल किया गया है। राइट टू बी फॉरगोटन के तहत किसी व्यक्ति को इण्टरनेट या किसी वेबसाइट से निजी जानकारी को हटाने का अधिकार है जब वह सूचना प्रासंगिक नहीं रह जाती।
- इसमें किसी व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने का प्रावधान है। किंतु इस विधेयक में बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
- दण्ड- बिल के उल्लंघन में किसी के व्यक्तिगत डाटा को प्रसारित करना या दुरुपयोग करने से 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सहमति के बिना डिआइडेंटिफाइड डेटा के दोबारा प्रसंस्करण करने पर तीन साल तक की कैद व जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

भारत में सरकार द्वारा देश की प्रगति हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फरवरी 2023-24 में घोषित बजट में भी भारत के डिजीटलीकरण पर जोर दिया गया है।

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

आधुनिक प्रौद्योगिकी हेतु बजट-

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम- वर्तमान बजट में डिजीटल भारत की परिकल्पना के लिए डिजीटल इंडिया मिशन की योजनाओं के लिए 4995 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है जैसे-

- पीएम श्री- इस योजना के तहत भारत के प्राचीन शिलालेखों के संरक्षण के लिए इनका डिजीटलीकरण किया जाएगा।
- राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय- यह विभिन्न भाषा, शैलियों तथा विभिन्न स्तर की पुस्तकों की उपलब्धता के लिए स्थापित किया जाएगा। सरकार गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर सभी उम्र के नागरिकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण पुस्तक उपलब्ध करवाएगी।
- आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र- शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए तीन केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र उद्योगों के सहयोग के साथ अनुसंधान करेंगे।इसके साथ कृषि, स्वास्थ्य व शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा।
- डेटा गवर्नेंस पॉलिसी- स्टार्ट अप के नए उद्यमियों और शिक्षाविदों को इसके साथ नवाचार व अनुसंधान में सहायता करेगी।
- 5 जी सेवाएं- अवसरों व रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 5 जी सेवाओं के अनुप्रयोग के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किआ जाएगा।
- ई – कोर्ट परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई है।

डिजीटल इंडिया में निजता की सुरक्षा हेतु वर्तमान बजट मे डिजीटल इंटैलिजेंस यूनिट, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, डेटा सुरक्षा व साइबर सुरक्षा की घोषणा की गई है।

आगे की राह-

- **जागरुकता**– डिजीटलीकरण के फायदों के साथ उसके खतरों के लिए ग्राहकों को जागरुक करना। जैसे निजी सूचना के आदान प्रदान व चोरी से होने वाली आपराधिक गतिविधियों के बारे में जागरुक करना।
- **डेटा सुरक्षा हेतु कानून-** डेटा सुरक्षा हेतु कानून पारित करना, जिसमें डेटा चोरी के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान हो।
- बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों के लिए कानून में अलग प्रावधान रखा जा सकता है।
- बच्चों को साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं से अवगत कराना,
- साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा संबंधी शिक्षा, विद्यालयी स्तर पर दी जा सकती है।

गुंजन जोशी

नीति आयोग

संदर्भ- हाल ही में नीति आयोग ने बीवी आर सुब्रह्मण्यम को नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया। सुब्रह्मण्यम, परमेश्वर लायर की जगह लेंगे। जो दो साल की अवधि के लिए विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया (नीति आयोग)

- नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है।
- योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रीमण्डल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था और 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था। जबकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया।
- इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है।
- भारत में योजना आयोग के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था किंतु नीति आयोग, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा उसे निर्देशात्मक व नीतिगत दिशा प्रदान करता है।
- केंद्र व राज्य सरकारों को उसकी नीतियों के संदर्भ में तकनीकि सलाह प्रदान करता है।

नीति आयोग के उद्देश्य

- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं।
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, चिकित्सकों व अन्य भागीदारों के साथ ज्ञान, नवाचार व उद्यमशील प्रणाली के लिए उद्यम करना।
- नवीन कार्यक्रमों के प्रौद्योगिकी निर्माण व क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता व रणनीतियों की साझा दृष्टि उपलब्ध कराएगा।
- नीति आयोग ग्राम स्तर पर नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विकसित कराएगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुँचाएगा।

नीति आयोग की विशेषताएं

- नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान व कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करता है।
- नीति आयोग, विकास निगरानी व मूल्यांकन संगठन(DMEO), अटल इनोवेशन मिशन(AEM), राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान व विकास संस्थान(NILERD) द्वारा समर्थित है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- नीति आयोग की गतिविधियों को चार प्रमुख सेल में विभाजत किया गया है- नीति व कार्यक्रम की रूपरेखा, सहकारी संघवाद, जाँचना व परखना, थिंक टैंक, नॉलेज व इनोवेशन हब।
- इसका प्रशासन ऊर्ध्वाधर श्रेणी का है और इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने के लिए एक सुचारु व तनावमुक्त वातावरण सुनिशअचित करना है।
- नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था।

बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच

बॉटम अप अप्रोच	टॉप डाउन अप्रोच
बॉटम-अप प्रशासन सभी कर्मचारियों, उनके विचारों और व्यवसाय की उनकी धारणाओं को शामिल करने के इर्द-गिर्द घूमता है ताकि सबसे अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लिए जा सकें।	यह प्रशासन के ऊपरी स्तर तक के अधिकारियों द्वारा संचालित होता है।
यह प्रबंधन को अपने उपयुक्त लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करती है।	यह प्रबंधन को उच्च पदाधिकारियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है।
यह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है।	यह निरंकुश प्रशासन की एक तकनीक है।

नीति आयोग की पहल

- **लाइफ(Lifestyle for Environment)-** 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) में, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जलवायु कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत व्यवहार मिशन LiFE की घोषणा की। मिशन का उद्देश्य नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है जो दुनिया भर में अपनाए जाने पर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- **शून्य अभियान-** शून्य अभियान का उद्देश्य राइड हेलिंग और डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) की तैनाती में तेजी लाकर भारत में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **ई- अमृत –** ई-अमृत का इरादा ईवी पर जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लाभों पर उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाने की सरकार की पहल का पूरक है।

गुंजन जोशी

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com